बिहार विधान सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न	
श्री प्रदीप कुमार, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक –26.12.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–पुन–01 के उत्तर के संबंध में क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि	**श्री नरेन्द्र नारायण यादव,** प्राधिकृत मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना ।
प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि विगत चालू वित्तीय वर्ष में आये भयंकर बाढ़ में नवादा जिला के पकरीबरावॉ प्रखण्ड के ग्राम –छतरवार, वलियारी, धेवधा सहित पूरे जिले के हजारों एकड़ धान की फसल बर्बाद हो गयी है, परन्तु पीड़ित कृषकों को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल पायी है, यदि हॉ तो क्या सरकार उक्त बाढ़ पीड़ित कृषकों को फसल बर्बादी का मुआवजा चालू वित्तीय वर्ष में भुगतान करने का विचार रखती है, यदि नही तो क्यों ?	जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अतिवृष्टि के कारण वर्ष 2014 में धान के फसल की क्षति का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ । अतिवृष्टि, केन्द्र द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के श्रेणी में नहीं है । इसलिए कृषि इनपुट अनुदान अनुमान्य नहीं है ।

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक–04 / वि0स0ता0प्र0–62 / 2014 / .... / आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, सचिवालय पटना को उनके ज्ञापांक 3853 दिनांक–12.12.2014 के क्रम में कुल 05 (पॉच) प्रतियों में / उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(सुनील कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–04 / वि0स0ता0प्र0–62 / 2014 / 515 / आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 6/2/15

प्रतिलिपि–सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर / श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, कम्प्यूटर ऑपरेटर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय बेवसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

D:\Hall Wipro Photostat\Vidhai 27-6-14 31-7-14\Q an 18 12 14.docx